रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 1999

फाल्गुन 6, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 460/सत्रह-वि-1—1 (क)-23-1998

लखनऊ, 25 फरवरी, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 24 फरवरी, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह 15 अगस्त, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में, खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) (क) लाइसेन्स देने या उसका नवीकरण करने के लिये ऐसे शुल्क लगाना, जो नियत किये जायं और उन्हें वसूल करना; और

(ख) मण्डी शुल्क, जो मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के, एक प्रतिशत से कम और ढाई प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और विकास सेस जो ऐसे सौदों पर, इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के आधा प्रतिशत की दर पर, लगाना और वसूल करना, और ऐसा शुल्क या विकास सेस निम्नलिखित रीति से वसूल किया जायेगा :—

(1) यदि उत्पादन, आढ़तिया के माध्यम से बेचा जाये तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी शुल्क और विकास सेस वसूल कर सकता है और वह समिति को उसका देनदार होगा;

(2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पादन क्रय करे तो वह व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा;

(3) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्पादन बेचने वाला व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा और 12 जून, 1973 से सदैव से देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नहीं किया है, ऐसे दायित्व से मुक्त न होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्पादन बेचने वाला व्यापारी विकास सेस का भुगतान करने के दायित्व से, इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नहीं किया है, मुक्त न होगा।

(4) ऐसे उत्पादन के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायगा न वसूल किया जायगा यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को केवल उसके घरेलू उपभोग के लिये किया जाय :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, समिति, यथास्थिति, आढ़तिया, व्यापारी या क्रेता, जिसने लाइसेंस प्राप्त किया हो, के विकल्प पर किसी कृषि वर्ष के लिये, उसके द्वारा देय मण्डी शुल्क या विकास सेस की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के लिये, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, स्वीकार कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायगा जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क या विकास सेस लगाया जा चुका है, यदि व्यापारी विहित प्रारूप और रीति से घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क या विकास सेस किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में पहले ही लगाया जा चुका है।"

धारा 19 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (5) में, शब्द और अंक "धारा 17 के खण्ड (5) के अधीन जुटायी गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के खण्ड (5) के अधीन जुटायी गयी धनराशि, विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान" रख दिये जायंगे,

(ङ) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(6) प्रत्येक समिति विकास सेस के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि को प्रत्येक माह परिषद् को भुगतान करेगी, जिसे धारा 26-ततत के अधीन स्थापित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जायगा।"

धारा 26-ततत का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 26-तत के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"26-ततत (1) एक निधि स्थापित की जायगी जिसे "केन्द्रीय मण्डी निधि" कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् :—

(क) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन परिषद् को दी गई समस्त धनराशि;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निर्देश दे।

(2) केन्द्रीय मण्डी निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायगा, अर्थात् :—

(क) वित्तीय रूप से कमजोर और अविकसित समितियों को ऋण या अनुदान के रूप में सहायता;

(ख) मण्डी क्षेत्र में मण्डी स्थल, सम्पर्क सड़क, पुलिया और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत;

(ग) विकास कार्यों के लिए समितियों को अनुदान या ऋण;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन जैसे राज्य सरकार या परिषद् द्वारा, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निर्देशित किये जायं।"

धारा 37 का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

शास्ति

"37—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 9 या धारा 10 के या उसके अधीन बनाये गए नियमों, या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर :—

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माना से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास के दण्ड से जो एक वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अधतर जुर्माना से जो दूसरी दोषसिद्धि या किसी अनुवर्ती दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे एक हजार रुपये तक हो सकता है;

दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारण, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायगा, न हो तो प्रथम अपराध के लिए जुर्माना दो सौ पचास रुपये से कम और द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए पांच सौ रुपये से कम न होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का, धारा 9 और 10 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माना से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रथम बार सिद्ध दोष होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे, दो सौ रुपये के अधतर जुर्माना से दण्डनीय होगा।

(3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाय तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माना के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मण्डी समिति को भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकता है और मण्डी समिति को भुगतान कर सकता है।"

धारा 37-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 37-क में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "बीस हजार" रख दिया जायगा ।

नई धारा 39-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना

"39-क—प्रत्येक थोक व्यापारी या आढ़तिया प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल के पूर्व मण्डी समिति को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से किये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय का विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अन्य विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए जैसी कि उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें, प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए "पूर्ववर्ती वर्ष" का तात्पर्य ऐसे वित्तीय वर्ष से है जो उस वर्ष के, ठीक पूर्ववर्ती हो, जिसमें ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो ।"

निरसन और अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर । अध्यादे संख्या सन् 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे ।

उत्तर अध्य संख्या सन् 1

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव ।

No. 460 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-23-98
Dated Lucknow, February 25, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ACT, 1999

(U. P. ACT NO. 4 OF 1999)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 15, 1998.

Amendment of section 17 of U. P. Act no. 25 of 1964

2. In section 17 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (*iii*) the following clause shall be *substituted* namely :—

"(*iii*) levy and collect,—

(*a*) such fees as may be prescribed for the issue or renewal of licences ; and

(*b*) market fee which shall be payable on transactions of sale of specified agricultural produce in the market area at such rates,

being not less than one percentum and not more than two and a half percentum of the price of the agricultural produce so sold as the State Government may specify by notification, and development cess which shall be payable on such transactions of sale at the rate of half percentum of the price of the agricultural produce so sold, and such fee or development cess shall be realised in the following manner :—

(1) if the produce is sold through a commission agent, the commission agent may realise the market fee and the development cess from the purchaser and shall be liable to pay the same to the Committee;

(2) if the produce is purchased directly by a trader from a producer, the trader shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee;

(3) if the produce is purchased by a trader from another trader, the trader selling the produce may realise it from the purchaser and shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee :

Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgement, decree or order of any court, the trader selling the produce shall be liable and be deemed always to have been liable with effect from June 12, 1973 to pay the market fee to the Committee and shall not be absolved from such liability on the ground that he has not realised it from the purchaser :

Provided further that the trader selling the produce shall not be absolved from the liability to pay the development cess on the ground that he has not realised it from the purchaser;

(4) in any other case of sale of such produce, the purchaser shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee:

Provided that no market fee or development cess shall be levied or collected on the retail sale of any specified agricultural produce where such sale is made to the consumer for his domestic consumption only :

Provided further that notwithstanding anything contained in this Act, the Committee may at the option of, as the case may be, the commission agent, trader or purchaser, who has obtained the licence, accept a lump sum in lieu of the amount of market fee or development cess that may be payable by him for an agricultural year in respect of such specified agricultural produce, for such period, or such terms and in such manner as the State Government may, by notified order specify:

Provided also that during the period of one year with effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998, no market fee or development cess shall be levied on transactions of sale of specified agricultural produce on which market fee or development cess has been levied in any market area if the trader furnishes in the form and manner prescribed, a declaration or certificate that on such specified agricultural produce market fee or development cess has already been levied in any other market area."

Amendment of section 19.

3. In section 19 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (5) *for* the words and figure "section 17 and grants made" the words and figure "section 17, money realised as development cess and grants made" shall be *substituted*;

(*b*) *after* sub-section (5) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(6) Every Committee shall pay to the Board every month all moneys realised as development cess which shall be credited to the Central Mandi Fund established under section 26-PPP."

Insertion of new section-26PPP

4. *After* section 26-PP of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"26-PPP (1). There shall be established a Fund to be called the 'Central Mandi Fund' to which the following amount shall be credited, namely :—

Central Mandi Fund

(*a*) all moneys paid to the Board under sub-section (6) of section 19;

(*b*) such other amount as the State Government or the Board may direct.

(2) The Central Mandi Fund shall be utilised by the Board for the following purposes namely :—

(*a*) assistance to financially weak and under developed Committees in the form of loans or grants;

(*b*) construction, maintenance and repairs of market yards, links roads, culverts and other development works in the market area;

(*c*) grants or loans to the committees for development works;

(*d*) such other purposes as may be directed by the State Government or the Board in such manner as may be prescribed."

Substitution of section 37

5. *For* section 37 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"37 (1) Any person who contravences any of the provisions of section 9 or section 10 or the rules or bye-laws made thereunder shall, on conviction, be punished,—

Penalty

(*a*) for the first offence, with fine which may extend to five thousand rupees;

(*b*) for a second and any subsequent offence of the same nature with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both and in case of continuing contravention, with a further fine up to rupees one thousand for every day subsequent to the date of second conviction or any subsequent conviction for which the contravention has continued :

Provided that in the absence of special and adequate reasons to the contrary mentioned in the judgement of the court the fine for the first offence shall not be less than two hundred and fifty rupees and for the second or subsequent offence, shall not be less than five hundred rupees.

(2) Any person who contravences any of the provisions of this Act or the rules or bye-laws made thereunder, except the provisions of sections 9 and 10 and the rules and bye-laws made thereunder, shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and in the case of continuing contravention with a further fine upto rupees two hundred for every day subsequent to the date of the first conviction for which the contravention has continued.

(3) Whenever any person is convicted of an offence punishable under this Act, the Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay to the Market Committee, the amount of fee or any other amount, due from him under this Act or the rules or bye-laws made thereunder and may, in his discretion also recover summarily and pay to the Market Committee cost of the prosecution."

Amendment of section 37-A

6. In section 37-A of the principal Act, *for* the words "one thousand" the words "twenty thousand" shall be *substituted*,

Insertion of new section 39-A

7. *After* section 39 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"39-A. Every wholesale trader or commission agent, shall before the thirtieth day of April every year submit to the Market Committee a statement of purchases and sales of specified agricultural produce by or through him during the previous

Submission of statement of purchases and sales

year in such Form and in such manner and setting forth such other particulars as may be specified in the by-laws.

Explanation :—For the purposes of this section, 'previous year' means the financial year immediately proceeding the year in which such statement is required to be submitted."

U. P. Ordinance No. 17 of 1998

8. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Dwitiya Adhyadesh, 1998 is hereby repealed. Repeal and savings

U. P. Ordinance No. 10 of 1998

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), or by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 1998 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 249 सा० विधा०—(2346)—1999—850 (मेक०)।